रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 11 सितम्बर, 2008/20 भाद्रपद, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2

संख्या मुद्रण(ए)4–13/93.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में **माली,** वर्ग–IV (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग **माली** वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2008 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की जाने की तारीख से प्रवृत होंगें।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या मुद्रण (ए) 4–13/93 तारीख 30 अगस्त, 1995 द्वारा अधिसूचित मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग **माली** (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 1995 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम, (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधि मान्य रुप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में माली, वर्ग– IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––माली
2. **पदों की संख्या.**–– 01 (एक)
3. **वर्गीकरण.**––वर्ग– IV (अराजपत्रित)
4. **वेतनमान.**––2520–100–3220–110–3660–120–4140 रुपये (प्रारम्भिक आरम्भ 2620/– रुपये के साथ)
5. **चयन पद अथवा अचयन.**––अचयन पद
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पा्त्र नही होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारमभिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकाओं की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगीं जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्याथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अहर्ता** (ए).––**(1)** आठवीं पास

(1) किसी भी सरकारी/अर्ध–सरकारी/बोर्ड/निगम कार्यालय में बागवानी में कम से कम तीन वर्ष के व्यावहारिक अनुभव के साथ बागवानी का अच्छा ज्ञान ।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.––हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु औरशैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––आयु.**––लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं.––लागू नहीं ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. **भर्ती की पद्धति.––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों)की प्रतिशतता.**––सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

11. **प्रोन्नति,प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा.**––लागू नहीं ।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.**––लागू नहीं ।

13 **भर्ती करने में किन परिस्थितियां में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम, समबद्ध, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में **माली** को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढाया जा सकेगा ।

(ख) पद का नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आना.––नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पदों का विवरण दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त **माली**, को 3930/–रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/– रुपए की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी

(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).––नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा पर नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्क्रम समबद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के लिए चयन समिति.––जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, द्वारा समय–समय पर गठित की जाए। अभ्यर्थियों का चयन नीचे दिए गए अंको के वितरण के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

क्रम सं0	अर्हताएं	अंक	टिप्पणीयां
1.	अनिवार्य अर्हताएं	6	––
2.	तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता/अनुभव	6	––
3.	हिमाचल प्रदेश की रूढियों रीतियों और बोलियां इत्यिादि	6	––
4.	व्यावहारिक/मौखिक परीक्षा	3	––

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 3930/– रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में प्रतिवर्ष 100/–रुपए की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होंगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानातरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तवयों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.——इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में **माली** के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

16. आरक्षण.——उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्यपिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गये अनुदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.——लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.——जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके और, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धो) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

————————

उपाबन्ध 'ख'

माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी...,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग , हिमाचल प्रदेश, के (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... .... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने **माली** के रूप मेंसंविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि **प्रथम पक्षकार माली** के रूप में........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में होगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्..................... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित)समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम 3930/– रुपए (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास होगी।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखत तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में:–

1..
....
....

(नाम व पूरा पता)

2..
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में:–

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)

2..
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran (A)4-3/93 dated Shimla-2 the 5-8-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constittion of India.*]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5-8-2008

No: Mudan (A)4-13/93.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India,the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment & promotion Rules for the post of Mali, Class-IV(Non-Gazetted), in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this Notification namely:—

1. *Short title and commencement* .—(i) These Rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Departdment, Mali Class-IV (Non-Gazetted Recruitment and Promotion Rules, 2008.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra H.P.

2. *Repeal and Savings*.— (i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mali Class- IV (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified vide Notification No. Mudran(A)4-13/93 dated 30-8-1995 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under Sub-Rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By Order
Sd/-
Pr.Secretary(P&S) to the,
Government of Himachal Pradesh.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MALI CLASS-IV (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. *Name of the Post*.—Mali

2. *Number of Post(s)*.—01 (One)

3. *Classification*.—Class-IV(Non-Gazetted)

4. *Scale of Pay*.—Rs.2520-100-3220-110-3660-120-4140(with initial start of Rs. 2620.

5. *Whether "Selection"post or "Non-Selection" pos*.—Non-selection

6. *Age for direct recruitment*.—Between 18 and 45 years.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous

Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants.This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).*— **Essential Qualification(s)** (i) Middle Pass.

(ii) Sound knowledge of gardening with at lest three years practical experience of gardening in Govt/ Semi Govt. /Board /Corpn.office.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).*—**Age**.—Not applicable

Educational Qualification.—Not applicable

9. *Period of probation, if any.*—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority.

10. *Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods*.—By direct recruitment or on contract basis.

11. *In case of recruitment by promotion ,deputation, transfer grade from which promotion /deputation /transfer is to be made.*— Not applicable.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition*?.—Not applicable

13. *Circumstances under which the H. P. P. S. C. is to be consulted in making recruitment.* —As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment.*—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis on viva -voce test if the recruiting agency, consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency.

15-A *(Selection for appointment to the post by contract appointment)*.—**(I) CONCEPT.—**(a) Under this policy, the Mali in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years, on year to year basis .

(b) *post falls within the purview of controller (printing and statioenry)*.—The Controller, Printing & Stationery Department ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will advertise the details of the vacant posts in two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility condiditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made strictly in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Mali** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 3930- per month (which shall be equal to the initial of the pay scale plus Dearness Pay.) An amount of Rs. 100/- as increase in contractual amount for second and third year will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY .— The Controller, Printing and Stationery H.P. to the Government of H.P.will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by competent authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE .—As may be constituted by the competent authority from time to time.

The selction will be made by assessing the candidates as per the distribution of marks as prescribed below:—

Sr.No.	*Qulaifiaction*	*Marks*
1.	Essential Qualification	6
2.	Tech./Professional Qualifiaction/Experience	6
3.	Custems, Manners & Dialects of H.P. etc.	6
4.	Practical Test/Viva/Voce	3

(VI) AGREEMEMT.—After selection of a candidate, he /She has to sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.3930/- per month(which shall be equal to initial of pay scale + Dearness Pay).TheContract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.100/- per annum for second and third years respectively, and no other allied benefit such as senior/ selection scales etc. shall be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind will be admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically; lead to the termination of the Contract .The Contract appointtee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(f) Transfer of a contractual appointee shall not be permitted from one place to another.

(g) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practioner Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

(h) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(VIII). RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Mali in the Department at any stage.

16. *Reservation.*—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. *Departmental Examination.*—Not applicable.

18. *Powers to relax.*—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure "B"

Form of conract /agreement to be executed between the Mali & the Government of Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery Department.

This agreement is made on this…..day of…………in the year………..between Sh./Smt…………………..……………S/oD/oShri…………………………..R/o…………………...
....
......................, contract appointee(herein after called the FIRST PARTY), AND, The Governor,

Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery Department Himachal Pradesh (herein after called as the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTYand the First Party has agreed to serve as a **Mali** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Mali** for a period of one year commencing on day of …………………………….and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………………………………….and information notice shall not be necessary.

2. The FIRST PARTY will be paid contractual amount @ Rs.3930/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay.)

3. The Service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the FIRST PARTY is not found good or if the available load of work does not merit any further retention.

4. The contractual appointment shall not confer any right to FIRST PARTY for regular service at any stage.

5. The FIRST PARTY will be entitled for one-day casual leave for each completed month of service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the FIRST Party .He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules

6. Unauthorized absence from the duty for a period of one month, without the approval of the controlling officer, shall automatically lead to termination of the contract. The FIRST PARTY will not be entitled for any honorarium for the period of absence from duty.

7. The FIRST PARTY appointed on contract basis will not be liable to transfer within the Department.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government Hospital or as directed by the department .In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.

9. The FIRST PARTY shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official.at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme and EPF/GPF facility will not be applicable to the FIRST PARTY.

IN THE WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day' month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:—

1. --

(Name and Full Address)

Signature of the First Party

2. ------------------------------------

(Name and Full Address)

1. ---------------------------------------

(Name and Full Address)

Signature of the Second Party.

2. ---------------------------------------

(Name and Full Address)

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 9 सितम्बर, 2008

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–23/2005–लेज.——श्री मनोज शर्मा, अधिवक्ता, ने उप–मण्डल पालमपुर, जिला कांगड़ा की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपायुक्त कांगड़ा की सिफारिश पर, जो कि इस निमित सक्षम प्राधिकारी है, और नोटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनोज शर्मा, अधिवक्ता, को उप–मण्डल़ पालमपुर, जिला कांगड़ा की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(अवतार चन्द डोगरा)
सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)23/2005- Leg. Dated 09-09-2008 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th September, 2008

No. LLR-E(9)-23/2005-Leg.—WHEREAS Shri Manoj Sharma, Advocate, Palampur has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Palampur of District Kangra ;

AND WHEREAS all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Deputy Commissioner, Kangra who is a competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries, Rules, 1956 is pleased to appoint Shri Manoj Sharma, Advocate, as Public Notary within the limits of Sub-Division Palampur of District Kangra, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-Secretary.

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला, 08 सितम्बर, 2008

सं0हि0प्र0वि0वि0आ0 / 610— / सचिव / ए0एस0 / एम0एस0टी0 / 2008.——हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत एवं निवारण फोरम (मंच) की स्थापना मार्गदर्शिका) विनियम, 2003 की धारा 3 की उप–धारा (9) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ताओं की शिकायत एवं निवारण फोरम (मचं) के नामित स्वतन्त्र सदस्य के वेतन एवं भत्ते का अवधारण करने के लिए, निम्नलिखित आदेश बनाता है:–

आदेश

1. **संक्षिप्त शीर्षक.**——इस आदेश का नाम, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत एवं निवारण फोरम (मचं) के नामित स्वतन्त्र सदस्य के वेतन एवं भत्ते) आदेश, 2008 है।

2. **वेतन तथा भत्ते.**——फोरम (मंच) के नामित स्वतन्त्र सदस्य को समेकित मासिक पारिश्रमिक के रुप में कुल 20,000 / — रुपये (केवल बीस हजार रुपये) संदत होंगे इसके अतिरिक्त, फोरम (मंच) के

मुख्यालय से बाहर शासकीय काम के लिए यात्रा के लिये वह, अनुज्ञाप्तिधारी के प्रथम श्रेणी अधिकारी के लिए अनुज्ञेय यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते, के लिए हकदार होगा। इस कारण आने वाले व्यय का अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

आयोग के आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित / –
सचिव ।

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, 8*th September*, 2008

No.HPERC/Secy/610/AS/MST/2008.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-regulation (9) of regulation 3 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for the Establishment of a Forum for Redresal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, hereby makes the following Order to determine the salary and allowances of the Nominated Independent Member of the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers:—

ORDER

1. *Short title.*— This Order may be called Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary and Allowances of the Nominated Independent Member of the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Order, 2008.

2. *Pay and allowance.*— The nominated Independent Member of the Forum shall be paid a consolidated amount of Rs.20,000/- (rupees twenty thousand only) per month towards remuneration. In addition, for official journeys outside the headquarters of the Forum; he will be entitled to TA/DA as admissible to Grade-1 Officer of the Licensee. The expenditure on this account will be borne by the licensee.

By order of the Commission.
Sd/-
Secretary.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15*th July*, 2008

No. UD-A(1)-1/2006- Nominate.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members of Municipalities:—

1. Municipal Council Dharamshala :

(i) Sh. Onkar Nehrian, Bhagsunath, Ward No. 3, Dharamshala, Distt. Kangra.
(ii) Smt. Kanta Soni, Teacher(Retd.),Ward No. 4, Kotwali Bazar, Dharamshala Distt. Kangra.

(iii) Sh. Rajesh Mahajan Ward No. 6 Dharamshala, Distt. Kangra.

2. Nagar Panchayat, Dehra :

(i) Sh. Ashok Raj, S/o Sh. Kashmir Singh, R/O Ward No. 1, Dehra, Distt. Kangra.
(ii) Sh. Perminder Rana, S/o Sh. Pritam Chand Rana, R/o Ward No. 5 Dehra, Distt. Kangra.

3. Nagar Panchayat Manali :

(i) Sh. Satpal, S/o Sh. Sansar Chand, Gompa Road, Manali, Distt. Kullu.
(ii) Sh. Sunder Khampa, House No. 168, Ward No. 6, gompa Road, Manali, Distt. Kullu.

4. Nagar Panchayat Ghumarwin :

(i) Sh. Hem Raj Sankhyan, S/o Sh. Lal Chand Sankhaya, Nagar Panchayat Ghumarwin, Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur.
(ii) Smt. Meera Devi W/o Sh. Milkhi Ram, Nagar Panchayat Ghumarwin (Kalyana) Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary.

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर :

श्रीमती सोनिया गुप्ता बनाम आम जनता।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सेनिया गुप्ता पत्नी श्री सन्दीप गुप्ता, निवासी तोत रानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्र आदित्य गुप्ता की जन्म दिनांक 24—5—2002 है परन्तु ग्राम पंचायत भतल्ला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे आदित्य गुप्ता का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 7—10—2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26—8—2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 67/2007/तह0

श्री निर्मल सिंह बनाम आम जनता।

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी सैल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अनिल कुमार की जन्म दिनांक 10–11–1986 है परन्तु ग्राम पंचायत कुठारना में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे अनिल कुमार का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3–10–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री मुनीश चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण — तिथि दायरा
केस नम्बर : — तिथि पेशी

श्री रजिन्दर कुमार, गांव गन्धवाड़, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत जन्म पंजीकरण करवाने हेतु।

उपरोक्त वर्णित प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन हाजिर होकर अपने लड़के सार्थक कतनोरिया कि दिनांक 19–11–2001 को जन्मा है के जन्म का स्थानीय पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रकरण पेश किया है।

प्रार्थी के अनुसार वह अपने लड़के सार्थक कतनोरिया की जन्म तिथि 19–11–2004 है, स्थानिय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अतः अब न्यायालय से आदेश प्राप्त करके अपने लड़के सार्थक कतनोरिया की जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता हूं।

अतः प्रकरण को स्वीकृत करते हुए प्रतिवादी जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति संस्था, प्रार्थी के किसी भी सगे सम्बन्धी को उपरोक्त सार्थक कतनोरिया जो कि दिनांक 19—11—2004 का जन्मा है के जन्म को पंजीकरण करवाने बारे हो तो वह दिनांक 15—10—2008 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी की आपत्ति प्रकट न होने की सूरत में सार्थक कतनोरिया के पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26—8—2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर ।

मुनीश चौधरी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत श्री जगदीश राम शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा तकसीमः

श्री समित्र लाल पुत्र श्री विशन दास, निवासी महाल व मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) . . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री मोहित कुमार, 2. श्री मनोज कुमार, 3. मनोरमा देवी, 4. ममता देवी, 5. सुनीता देवी विधवा श्री हंस राज पुत्र श्री विशन दास, 6. श्री अमिरत लाल पुत्र श्री विशन दास, 7. श्री युगल किशोर पुत्र श्री विशन दास, 8. श्री विकाश कुमार, 9. कुमारी अनु, 10. श्रीमती सरोज कुमारी विधवा श्री कुलदीप पुत्र श्री विशन दास, 11. श्री सरूप उपनाम श्री शान्ति सरूप, 12. विपन, 13. मनोज, 14. श्रीमती सत्या देवी विधवा श्री ठाकुर दास, निवासी मुहाल व मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) . . प्रत्यार्थी।

विषय.——दरख्वास्त तकसीम भूमि खाता जेरे धारा 123 हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 खाता नम्बर 62, खतौनी नम्बर 96, खसरा नम्बर 982, 983, 984 किता 3, तादादी रकवा 0—08—65 है0 मुहाल व मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2000—2001।

उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित मिसल तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को बार—बार समन जारी किये जाने पर उनकी तामील न हो पा रही है। अतः इस न्यायालय को यकीन हो गया है कि फरीकदोयम की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती लिहाजा अदालत अब इस नतीजे पर पहुंची है कि उक्त फरीकदोयम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि तिथि 20—10—2008 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमे की पैरवी करें। दीगर सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके पश्चात् कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जगदीश राम शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री एस0 आर0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री टेक सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

श्री टेक सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 2–12–1988 को गांव अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में हुआ है जिसकी जन्म तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत अर्सू के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 4–10–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन / वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। गैर–हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

एस0 आर0 शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री एस0 आर0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री पुष्प राम, निवासी रलू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

cuke

आम जनता . . प्रतिवादी।

उपरोक्त श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री पुष्प राम, निवासी रलू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम कार्यालय ग्राम पंचायत निशानी में पुष्पा देवी व मधु वाला गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम श्रीमती मधु शर्मा ही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 4–10–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश करें अन्यथा कार्यालय ग्राम पंचायत निशानी को उक्त पुष्पा देवी व मधुवाला का सही नाम मधु शर्मा दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

एस0 आर0 शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एस0 आर0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री दौलत राम पुत्र श्री हरदास, निवासी निशानी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री दौलत राम पुत्र श्री हरदास, निवासी निशानी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 1–5–2003 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत निशानी में उसकी जन्म तिथि 6–12–2004 गलत दर्ज है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 4–10–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे गैर–हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

एस0 आर0 शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

मु0 नम्बर : 8–11 / 2007 किस्म मुकद्दमा तकसीम

श्री केशव राम पुत्र श्री मेहर दास, गांव कलौठ घाटी चायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

सर्व श्री सेवा राम बगैरा।

विषय.––तकसीम भूमि खाता खतौनी नम्बर 420 / 555 रकबा 1–12 वीधा, घाटी चायल, खाता खतौनी नम्बर 418 / 552 / 2 रकबा 7–9 वीधा स्थित घाटी चायल, खाता / खतौनी नम्बर 419 / 553–554 रकबा 18–2 वीधा व खाता / खतौनी नम्बर 421 / 556 रकबा 8–11 वीधा स्थित घाटी चायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू।

उपरोक्त विषय के बारे में श्री केशव राम पुत्र श्री मेहर दास, गांव कलौठ घाटी चायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त भूमि की तकसीम हेतु आवेदन किया है। जिसमें प्रतिवादी जिया लाल पुत्र श्री मनू, गांव ठारला, डाकघर जांओ, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू जो 1–2 वर्षो से लापता है। जिस कारण बार–बार समन जारी करने के पश्तात् भी तामील नहीं हो रही है। अब इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादी को साधारण ढंग से इतलाह नहीं हो सकती है।

अतः उक्त प्रतिवादी श्री जिया लाल पुत्र श्री मनू, गांव ठारला, डाकघर जाओं, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि प्र0) को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27—9—2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन / वकालतन इस अदालत में हाजिर आवे गैर—हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में जाई जायेगी।

आज दिनांक 27—8—2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी निरमण्ड,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Shri K. K. Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of decision
13/2008	23-8-2008	Pending for 4-10-2008

Shri Laiq Ram s/o of Shri Devi Dass, resident of Village Gadiyana, Pargana Lachhrang, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.) . . *Applicant.*

Vs.

General Public . . *Respondent.*

APPLICATION UNDER SECTION 13 (3) BIRTH & DEATH REGISTRATION ACT, 1969

Shri Laiq Ram s/o of Shri Devi Dass, resident of Village Gadiyana, Pargana Lachhrang, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith an affidavit of himself and other documents, stating therein that his wife namely Smt. Krishana Devi died on 15-12-2006 at Village Gadiyana, Pargana Lachhrang, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but the date of death could not be registered by the applicant in Gram Panchayat's death record, Gulhari, Tehsil Kasauli.

2. Therefore, by this proclamation the general public is hereby directed that any person having any objection for the registration of date of death of Smt. Krishana Devi wife of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 4-10-2008 at 10 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 23rd day of August, 2008.

Seal.

K. K. SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).

————————

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी ड़लहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री शाम सुन्दर, निवासी सदर बाजार ड़लहौजी, डाकघर ड़लहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यानहल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी मौसी श्रीमती रेशमू की मृत्यु तिथि 25–12–1988 है, जो कि नगर परिषद् ड़लहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की मौसी श्रीमती रेशमू की मृत्यु तिथि नगर परिषद् के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एजराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 4–10–2008 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

इन्द्र सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी ड़लहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री हंस राज सुपुत्र श्री भगत राम, निवासी ग्राम टप्पर, डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यानहल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र नवीन कुमार व पुत्री शिवानी देवी की जन्म तिथि क्रमशः 20–12–2002 व 28–10–2004 है जो कि ग्राम पंचायत टप्पर के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत टप्पर के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एजराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 4–10–2008 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

इन्द्र सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग ड़लहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री अमर सिंह सुपुत्र श्री जलो राम, निवासी ग्राम द्रला (DRALA) परगना नगाली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यानहल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अमर सिंह है जो कि ग्राम पंचायत नगाली के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल जनौली में अमरो दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एजराज हो तो वह दिनांक 4–10–2008 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

इन्द्र सिंह,
सहायक समाहर्ता डलहौजी,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

———————

ब अदालत श्री संजीव शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री हंस राज पुत्र श्री चमारू, निवासी मझधार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यानहल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारे हैं कि उसका सही नाम हंस राज है जो कि पंचायत रिकार्ड व बच्चों के स्कूल प्रमाण–पत्रों में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मझधार परगना नगाली में हंसो दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एजराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 4–10–2008 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30—8—2008 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

संजीव शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग डलहौजी,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी भटियात चुवाडी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बा : 3 / 3—IX-B/2008

तारीख पेशी : 26—9—2008

रतो पुत्र कोडू पुत्र श्री मिंजरू, निवासी हटली, प्र0 भट्टि टिकरी, तहसील भटियात, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री रसीला, r/o हटली, डाकघर द्रमण, तहसील भटियात, जिला चम्बा 2. श्रीमती गायत्री देवी सुपुत्री श्री रसीला, r/o हाल, w/o श्री चुनी लाल, r/o वसनुर, डाकघर रैत, 3. करतारो पुत्र श्री धनू, निवासी हटली, डाकघर द्रमण, तहसील भटियात, जिला चम्बा 4. श्रीमती ब्यासा सुपुत्री श्री धनू, r/o हटली, डाकघर द्रमण, तहसील भटियात, जिला चम्बा 5. श्रीमती सुनंदा सुपुत्री श्री धनू हाल, w/o वासो, r/o पनिहार, डाकघर छतडी, तहसील शहपुर, 6. श्रीमती सुरवना सुपुत्री धनू, w/o श्री रमेश चन्द, r/o वलाषा, तहसील भटियात, जिला चम्बा 7. श्री हरबंश लाल s/o स्व0 श्रीमती सधो विधवा श्री गुजर c/o श्री रोशन लाल पुत्र श्री छांगो राम, r/o हटली,तहसील भटियात, 8. श्रीमती केशरी विधवा श्री गोरखू, r/o वलाषा भटियात, तहसील भटियात, जिला चम्बा 9. श्री रोशन लाल पुत्र श्रीमती दयाली पुत्री श्री कोडू, r/o हटली, तहसील भटियात, जिला चम्बा 10. श्री सुभाष सिंह s/o श्री केसरी सिंह r/o हटली, तहसील भटियात, जिला चम्बा 11. श्रीमती व्रहमी विधवा श्री केसरी सिंह, r/o हटली, तहसील भटियात, जिला चम्बा 12. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री भीम सैन, r/o हटली, तहसील भटियात, जिला चम्बा 13. किरण देवी सुपुत्री श्री भीम सैन, r/o हटली, तहसील भटियात, जिला चम्बा 14. अरूण देवी सुपुत्री श्री भीम सैन, r/o हटली, तहसील भटियात, जिला चम्बा 15. सन्तोष देवी विधवा भीम सैन, r/o हटली, तहसील भटियात, जिला चम्बा।

उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि खाता खतौनी नम्बर 162 / 232—234 किता—2 रकवा तादादी 14—10 वीधा मौजा हटली, प्र0 भट्टि टिकरी, तहसील भटियात, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

इश्तहार

उपरोक्त मुकद्दमा श्री रतो पुत्र श्री कोडू पुत्र मिजरू, निवासी हटली, डाकघर द्रमण, तहसील भटियात, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में तकसीम बारे प्रार्थना—पत्र गुजार रखा है। प्रतिवादियों को कई बार इस न्यायालय से समन जारी किए जिन में से फीकदोयम नम्बर 13—14 वाहर रहना तस्दीक हुए जिस कारण उनके समन की तामील साधारण तारीका से नहीं हो रही है। लिहाजा इश्तहार सर्वसाधारण द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 26—9—2008 को असालतन या वकालतन सुबह 10.00 बजे दिन वराये पैरवी मुकद्दमा हजा व मुकाम चुवाडी में हाजिर आवें। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी व दीगर को कोई उजर कावले समायत न होगा।

आज दिनांक 26—8—2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रताप सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी भटियात चुवाडी,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री N. D. BHATIA, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री फतेह सिंह s/o श्री तेगू राम, निवासी काशला, डाकघर द्रंग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री फतेह सिंह s/o श्री तेगू राम, निवासी काशला, डाकघर द्रंग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका स्वयं, फतेह सिंह, का जन्म दिनांक 20–8–1947 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरयारबली के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अत :सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 3–10–2008 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र फतेह सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 3–9–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

N. D. BHATIA,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र)।

ब न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री लाल चन्द, निवासी गाहर हाल पत्नी श्री दिनानाथ पुत्र श्री जोधा, निवासी समसौह, डाकघर गाहर, ईलका भदरोता, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.––नाम दरुस्ती।

प्रार्थीया उपरोक्त ने प्रार्थना–पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया का सही नाम शकुन्तला देवी है परन्तु राजस्व रिकार्ड गाहर में गलती से गायत्री दर्ज ो प्रार्थीया इसे दरुस्त करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय आकर पैरवी

मिति 30—9—2008 को पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं, गैर—हाजिर की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30—8—2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी भनवाड, डाकघर जमणी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——नाम दरुस्ती।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना—पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम परस राम है परन्तु राजस्व रिकार्ड भनवाड में गलती से लुहारू दर्ज है। प्रार्थी इसे दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय आकर पैरवी मिति 30—9—2008 को पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं गैर—हाजिर की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30—8—2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

——————

न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री सुहारू राम पुत्र श्री निका राम, निवासी मनवाल, ईलाका सुरांगा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——नाम दरुस्ती।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना–पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सही नाम सुहारू राम है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से सुहडू राम दर्ज है। प्रार्थी इसे दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय आकर पैरवी दिनांक 15–10–2008 को पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। गैर–हाजिर की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत उप–पंजीकाध्यक्ष एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री वासू देव, राकेश कुमार पुत्र व श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी जुकैण, ईलाका सुरांगा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

विषय.——प्रार्थना–पत्र बाबत पंजीकृत करवाने वसीयतनामा जेर धारा 40/41

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थीगण ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि श्री रोशन लाल पुत्र श्री सिहार राम, निवासी जुकैण, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 22–6–2008 को एक वसीयतनामा बहक प्रार्थीगण के नाम करवाया है, जो विला पंजीकृत है। वसीयत–कर्त्ता दिनांक 1–7–2008 को फौत हो चुका है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वसीयत को पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24–10–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पैरवी कर सकते हैं। गैर–हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–पंजीकाध्यक्ष एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती तारीख पेशी : 15—10—2008

श्री रूप सिंह पुत्र श्री सोता राम, निवासी कमलाह, डाकघर कमलाह, उप—तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री रूप सिंह पुत्र श्री सोता राम, निवासी कमलाह, डाकघर कमलाह, उप—तहसील सन्धोल ने इस कार्यालय/अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल कमलाह, उप—तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम रूपणू लिखा गया है जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम रूप सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह 15—10—2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर—हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 4—9—2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नजीर खान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री नजीर खान, कार्यकारी दण्डाधिकारी सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती मन्जू ठाकुर पत्नी श्री भोला शंकर, निवासी लोअर धनाला, डाकघर सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म्म तिथि दर्ज करने बारा।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती मन्जू ठाकुर पत्नी श्री भोला शंकर, निवासी लोअर धनाला ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया है कि उसका लड़का नितिन ठाकुर की जन्म तिथि 5—2—2003 है लेकिन इसकी जन्म तिथि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धनला के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई है। अब इसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत धनाला को दिए जाऐ।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15—10—2008 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 4—9—2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

नजीर खान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

In the Court Marriage Officer-*cum*-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, S*ub*-Division Mandi, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Vinod Komar s/o Shri Hari Singh, r/o Village Bhiuli, P. O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Lata Devi d/o Shri Muni Lal, r/o Village Behot, P. O. Chatrokhri Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—A application for the registration of Marriage under Section 3 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Vinod Komar s/o Shri Hari Singh, r/o Village Bhiuli, P. O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) and Smt. Lata Devi d/o Shri Muni Lal, r/o Village Behot, P. O. Chatrokhri Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that thay have solemnized their marriage on 1-9-2008 according to their rites (their ritual and custom) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 3-10-2008 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 4th September, 2008 under my hand and seal of the court

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sadar Mandi Sub-Division,
District Mandi (H. P.).

———————

ब अदालत श्री अनुपम कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री प्रेम सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री सोनम उर्फ सोनम राम, गांव जिस्पा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.– ग्राम राजस्व अधिकारी, गैमूर के राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।

श्री प्रेम सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री सोनम उर्फ सोनम राम, गांव जिस्पा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र सहित आवेदन किया है कि उनके परदादा हीराम के दो पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः मोती राम व राम चन्द है। मोती राम के तीन पुत्रगण पैदा हुए जिनके नाम सोनम राम, पंछी राम व छोपेल है जबकि राम चन्द के कोई भी संतान नहीं हुई। परन्तु ग्राम राजस्व अभिलेख गैमूर के राजस्व अभिलेख में सोनम पुत्र राम चन्द दर्ज किया गया है जो कि गलती से दर्ज हो गया है, अतः अब प्रार्थी ग्राम राजस्व अधिकारी, गैमूर के राजस्व अभिलेख में सोनम पुत्र मोतीराम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री सोनम उर्फ सोनम राम, गांव जिस्पा के चाचा सोनम के पिता का नाम ग्राम राजस्व अधिकारी, गैमूर के राजस्व अभिलेख में सोनम पुत्र राम चन्द के स्थान पर सोनम पुत्र मोती राम दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 25–9–2008 को या इससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर / एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 20–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अनुपम कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति, (हि0 प्र0)

श्री सोहन लाल पुत्र श्री धर्मा, गांव पडाग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.––ग्राम पंचायत रानिका के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री सोहन लाल पुत्र श्री धर्मा, गांव पडाग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश ने शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र सहित आवेदन किया है कि वह किसी कारणवश अपने पुत्र सुरेन्द्र का नाम व जन्म तिथि 2–4–1990 को ग्राम पंचायत रानिका के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं कर सका था, जिसे अब दर्ज करना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री सोहन लाल पुत्र श्री धर्मा, गावं पडाग के पुत्र सुरेन्द्र का नाम व जन्म तिथि 2–4–1990 को ग्राम पंचायत रानिका के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10–9–2008 को या इससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई उजर व एतराज समायत नही होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10—8—2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलांग,
जिला लाहौल एवं स्पिति, (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अनुपम कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति, (हि0 प्र0)

श्री विकास कुमार पुत्र श्री थरचेन, गांव दारचा दंगमा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.——ग्राम पंचायत दारचा सुम्दो के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम दरूस्त करने बारे।

श्री विकास कुमार पुत्र थरचेन, गांव दारचा दंगमा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने शपथ—पत्र व प्रार्थना—पत्र सहित आवेदन किया है कि उनका नाम विकास कुमार है और यही नाम स्कूल प्रमाण—पत्र में दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत दारचा दंगमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में उनका नाम सोनम तोबझल दर्ज है जोकि गलत दर्ज हो गया है। अतः अब प्रार्थी ग्राम पंचायत दारचा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में सोनम तोबझल काटकर उसके स्थान पर विकास कुमार दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री विकास कुमार पुत्र श्री थरचेन, गांव दारचा दंगमा का नाम ग्राम पंचायत दारचा दंगमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में सोनम तोबझल काटकर उसके स्थान पर विकास कुमार दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10—9—2008 को या इससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर—एतराज समायत नही होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना—पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10—8—2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलांग,
जिला लाहौल एवं स्पिति, (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अनुपम कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति, (हि0 प्र0)

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, गांव यांगला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.——ग्राम पंचायत गोन्धला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, गांव यांगला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र सहित आवेदन किया है कि वह किसी कारणवश अपनी पुत्री अनामिका का नाम व जन्म तिथि 17–3–2004 को ग्राम पंचायत गोन्धला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं कर सका था, जिसे अब दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, गांव यांगला के पुत्री अनामिका का नाम व जन्म तिथि 17–3–2004 को ग्राम पंचायत गोन्धला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10–9–2008 को या इससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर–एतराज समायत नही होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना–पत्र कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलांग,
जिला लाहौल एवं स्पिति, (हि0 प्र0)।

PERSONNEL DEPARTMENT (A-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10*th September,* 2008

No.1-15/73-Dp-Apptt (2008).—The Governor, Himachal, Pradesh, is pleased to order the transfers & postings of the following Indian Administrative Service Officers, with immediate effect, in public interest:—

1. Sh.T.G.Negi, (HP:80), presently Pr. Secretary(YSS)to the Government of Himachal Pradesh as Principal Secretary(Training & AR)to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.

2. Sh.Bhim Sen (HP:82), presently Pr. Secretary to the Chief Minister and Pr. Secretary(Information & Public Relations, Excise & Taxation, Redressal of Public Grievances) who is also holding the additional charge of Animal Husbandry shall now function as Pr, Secretary to the Chief Minister and Pr. Secretary (Information & Public Relations, Excise & Taxation, Redressal of Public Grievances and Tribal Development)to the Government of Himachal Pradesh, Shimla relieving Sh.S.C.Negi, IAS of the charge of Tribal Development.

3. Dr. Desh Deepak (HP:83) awaiting posting as Secretary, Lokayukta, Himachal Pradesh, Shimla.

4. Sh. V.C.Pharka (HP:83) presently Pr. Secretary(AR) who is also holding the additional charge of Training & FA as Pr. Secretary (YSS)to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.

5. Mrs. Manisha Shridhar(HP:84), presently Pr. Secretary(Cooperation)to the Government of Himachal Pradesh shall hold the additional charge of Animal Husbandry Department.

6. Mrs. Manisha Nanda (HP:85) presently CEO cum Secretary (Election) who is also holding the additional charge of Tourism Department shall also hold the additional charges of MD, H.P.Tourism Development Corporation, Shimla and Director of Tourism & Civil Aviation, HP.

7. Sh.Anil Kumar Khachi(HP:86) presently Secretary(Civil Supplies & Consumer Affairs)to the Government of Himachal Pradesh shall hold the additional charge of Technical Education Department relieving Sh.P. C.Dhiman, IAS of this additional charge.

8. Sh.Ram Subhag Singh (HP:87), presently Director of Tourism & Civil Aviation who is holding the additional charge of MD, H.P.Tourism Development Corporation as Director of Vigilance cum Exofficio Secretary (Home & Vigilance)to the Government of Himachal Pradesh. He shall hold the additional charge of Fisheries Department relieving Sh.Rakesh Kaushal, IAS of this additional charge.

9. Mrs. Nisha Singh,(HP:87), presently Divisional Commissioner, Shimla who is also holding the additional charge of Member(Admn.) HPSEB, Shimla as Member (Admn.)HPSEB, Shimla.

10. Sh.Sanjay Gupta, (HP:88) presently MD, General Industries Corporation who is also holding the additional charge of MD, State Industrial Development Corporation as Secretary(Forests)to the Government of HP.

11. Sh. Kashmir Chand (HP:90), presently Director of Vigilance cum Ex Officio Secretary(Home & Vigilance) to the Government of Himachal Pradesh as MD, H.P. Financial Corporation, Shimla relieving Sh.Manoj Kumar, IAS of this additional charge. He shall hold the additional charges of MD, General Industries Corporation and MD, State Industrial Development Corporation, Shimla.

12. Sh.B.S.Nainta, (HP:90), presently Secretary, Lokayukta, HP as Secretary (Health & FW)to the Government of Himachal Pradesh.

13. Sh.Jagdish Chander(HP:91), presently Member(F&A), HPSEB shall hold the additional charge of the post of MD, HP Power Transmission Corporation Ltd.

14. Sh.Rakesh Kaushal, (HP:91) presently Secretary(Revenue)to the Government of Himachal Pradesh shall hold the additional charge of Divisional Commissioner, Shimla Division, Shimla.

15. Sh.Balbir Tegta, (HP:96), presently Special Secretary(Social Justice & Empowerment) to the Government of Himachal Pradesh as Special Secretary (Food Civil Supplies & CA)to the Government of Himachal Pradesh relieving Sh.N..S.Chaudhary, HAS of this charge.

16. Ms.Nandita Gupta (HP:2001) presently Deputy Commissioner, Hamirpur as Special Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh. She will hold the additional charge of Director of Public Finance & Public Enterprises, HP relieving Sh.Arvind Mehta, IAS of this additional charge.

17. Sh.Abhishek Jain (HP:2002) presently Special Secretary (LEP & Horticulture) to the Government of Himachal Pradesh as Deputy Commissioner, Hamirpur.

18. Sh.Ritesh Chauhan (HP:2005) presently SDC© Palampur shall also hold the additional charge of SDO© Jaisinghpur.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित